239 (5) लोक उद्यमों में मुख्य पदों ओर बोर्ड स्तर के सभी अधिकारियों के मातहत पदाधिकारियों द्वारा विदेश–दौरा

लो.उ.वि. के तारीख 10.12.1997 के कार्या.ज्ञापन संख्या 20(5)/95–लो.उ.वि.(जीएम) के अधिक्रमण में, केन्द्रीय लोक उद्यमों के बोर्ड स्तर के कार्यकारी अधिकारियों के विदेश दौरे के मुद्दे पर पुन: विचार किया गया और उस पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:–

1. केन्द्रीय लोक उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अंशकालिक और पूर्णकालिक निदेशकों के विदेशी दौरे के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय विभाग के मंत्री का एतदद्द्वारा पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2. अधिकारी के कार्यालयी दौरा नोट/रिपोर्ट सहित ऐसे विदेशी दौरे का एक विवरण निदेशक मंडल की आवधिक बैठक में रखा जाना चाहिए।

3. इन अधिकारियों के प्रस्तावों की छंटनी करते समय मंत्रालय को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे दौरे पर होने वाले अनावश्यक व्यय से बचा जाए।

सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे पूर्वगामी को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले लोक उद्यमों के ध्यान में लाएं।

(लो.उ.वि. का 13 अगस्त, 1999 का कार्यालय ज्ञापन सं. 2(41)/93–लो.उ.वि. (डब्ल्यू सी) जी–XI)